

गौदि के हस्ताक्ष
जरों पर्दे अधिक ग्रन्थ

(11)

137

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सक्रिट कोर्ट रोवा जिला रीवा ₹५०/-
प्रकाश इफां R-1588-दो.114



कोर्ट प्रकाश १५८८-दो.११४
देवान्न देवान्न
कु. २५.५.१४

R-1588-दो.114

देवान्न त्रिपाठी पिता श्री रामकृष्ण त्रिपाठी निवासी ग्राम करही

हनुमानगंग तहसील रामकृष्ण जिला सतना ₹५०/- ----- निगरानीकर्ता

बनाम

✓ 1. चन्द्रका प्रसाद त्रिपाठी

2. रामलाल त्रिपाठी

3. बालमोक त्रिपाठी ॥ तीनों के पिता स्वरूप काली चरण त्रिपाठी

4. राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी

5. राजेन्द्र प्रसाद

6. राजेन्द्र प्रसाद

7. राजेन्द्र प्रसाद

8. शिवरामकर प्रसाद ॥ ४ ता ४ के पिता स्वरूप रामरुचि प्रसाद

9. रामानन्द पिता रामकृष्ण

10. रामजी त्रिपाठी तनय स्वरूप गुलाब प्रसाद त्रिपाठी

11. रघुवरसारण पिता रघुनाथदीन त्रिपाठी

सभी निवासी करही हनुमानगंग तहसील रामकृष्ण जिला सतना ₹५०/-

-- निगरानीकर्ता गिरण

निगरानी विस्तृत आदेश अनुविभागीय अधिकारी

महोदय तहसील अमरपाटन जिला सतना ₹५०/-

के अपील क्रमांक 114/अपील/11-12 में स्थाद अधिक

धारा 5 का आवेदन आदेश दिनांक 15-4-14.

निरस्त किये जाने वाले।

देवान्न देवान्न

মিলনীর পত্র (১৯৮১)

- ১ (১) দেশ মুক্তির উদ্দেশ্যে বাস্তব পরিণাম ব্য প্রচার প্রয়োগে
২ (২) এক মুক্তির উদ্দেশ্যে বাস্তব পরিণাম ব্য প্রচার প্রয়োগে
৩ (৩) মুক্তির উদ্দেশ্যে ৩২° ৫৫' অ
৪ (৪) মুক্তির উদ্দেশ্যে ৩২° ৫২' অ
৫ (৫) মুক্তির উদ্দেশ্যে ৩২° ৫০' অ
৬ (৬) মুক্তির উদ্দেশ্যে ৩২° ৪৫' অ
৭ (৭) মুক্তির উদ্দেশ্যে ৩২° ৪০' অ
৮ (৮) মুক্তির উদ্দেশ্যে ৩২° ৩৮' অ
৯ (৯) মুক্তির উদ্দেশ্যে ৩২° ৩৫' অ
১০ (১০) মুক্তির উদ্দেশ্যে ৩২° ৩২' অ
১১ (১১) মুক্তির উদ্দেশ্যে ৩২° ৩০' অ
১২ (১২) মুক্তির উদ্দেশ্যে ৩২° ২৮' অ
১৩ (১৩) মুক্তির উদ্দেশ্যে ৩২° ২৫' অ
১৪ (১৪) মুক্তির উদ্দেশ্যে ৩২° ২০' অ

✓

১২৪
১৩৪

(11)
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश न्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक.....R1588-II/2014.....जिला...सतना

देवात्मकीयपाठी.....विरुद्ध चंडीका प्रसाद.....

1	2	3
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री...सतीष्ठीलं अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील अमरपट्टी के प्रकरण क्रमांक 15/न्वालियर/11-12 में पारित आदेश दिनांक 15-4-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर 25-03-2018 को ज्ञायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25-03-2018 को कलेक्टर 25-03-2018 के ज्ञायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	

सदस्य

देवात्मकीयपाठी

धारा 5 का आवश्यन जाप्त ।
निरस्त किये जाने वापर्त।